न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 744/2018 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 मिश्री पिता जीता गुर्जर उम्र वयस्क नि0 उम्मेदपुरा, कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

――――――प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

――――――अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

उपस्थित –
1 श्री मिश्री गुर्जर.........प्रार्थी स्वंय
2 पेरोकार सरकार विपक्षी संख्या 01

निर्णय

दिनांक – 01.06.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीगण/अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 01.06.2018 को प्रस्तुत किया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 528 के आराजी न0 1345 रकबा 05–04 बीघा प्रार्थी के पक्ष में सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय कब्जे काश्त सहखातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षि की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षि राज्य पक्ष जरिये भूमिधाकर तहसीलदार बनेडा की खातेदारी बिलानाम आराजीयात ग्राम कुण्डियाकंला प.ह. क्षैत्र कुण्डियाकंला स्थित आराजी सं0 1339 रकबा 06–07 बीघा मेड के सहारे–सहारे 30 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम डाबला दिनांक 01.06.2018 के लिए नया प्राप्त होने पर पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। नियत शिविर के दौरान ही विपक्षी संख्या 01 राज्य पक्ष जरिये तहसीलदार बनेडा ने वक्त पैरवी उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमति प्रदत्त करते हुए, प्रमाण में आदेशिका पर कोई उजर/आपत्ति नही होना अंकित कर सहमति रिपोर्ट/जवाब प्रार्थनापत्र वक्त शिविर ही प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

इस प्रकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के खण्डन में विपक्षि द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया।

तहसीलदार बनेडा द्वारा मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु संबधित हल्का पटवारी कुण्डियाकंला की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। नवीन रास्ता हेतु हल्का पटवारी द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, तैयार प्रस्ताव प्राप्त किये गये, जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

हमने प्रकरण में हल्का पटवारी कुण्डियाकंला द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 की मौजा कुण्डियाकंला स्थित आराजी न0 1339 मे से 06–07 बीघा भूमि में से 00–03 बिस्वा जो कि 25 फीट चौडा, 160 फीट लम्बा (4000 वर्ग मीटर) ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार बनेडा मय मौका पर्चा हल्का पटवारी कुण्डियाकंला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल मात्र 00–03 बिस्वा जो कि 25 फीट चौडा, 160 फीट लम्बा (4000 वर्ग मीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजी न0 1339 मे से 00–03 बिस्वा जो कि 25 फीट चौडा, 160 फीट लम्बा (4000 वर्ग मीटर) भूमि का रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारो की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 30.00 फिट का चाहे गये नवीन रास्ते के मुकाबले तहसीलदार बनेडा द्वारा प्रस्तावित मौजा कुण्डियाकंला की स्थित आराजी न0 1339 की पश्चिमी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00–03 बिस्वा जो कि 25 फीट चौडा, 160 फीट लम्बा (4000 वर्ग मीटर) भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश इस प्रकार प्रदत्त किये जाते है कि मौजा कुण्डियाकंला पटवार हल्का क्षैत्र कुण्डियाकंला कि आराजी न0 1339 की पश्चिमी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00–03 बिस्वा जो कि 25 फीट चौडा, 160 फीट लम्बा (4000 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का कुण्डियाकंला द्वारा प्रस्तावित उक्त 00–03 बिस्वा जो कि 25 फीट चौडा, 160 फीट लम्बा (4000 वर्ग मीटर) का जिसे नजरी नक्षा में प्रर्दश किया गया है, उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी कुण्डियाकंला के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 01 बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड आराजी न0 1339 रकबा 06–07 बीघा किस्म गै.मु.उसर मे से 00–03 बिस्वा जो कि 25 फीट चौडा, 160 फीट लम्बा (4000 वर्ग मीटर) मुताबिक प्रस्ताव, रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी यानि राज्य पंक्ष भूमिधारी तहसीलदार बनेडा (आराजी सं0 1339 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दर 39,204/– रूपये प्रति बीघा अनुसार 00–03 बिस्वा मालियत राशि की दुगुनी राशि 11,762/–रूपये.(00–03 बिस्वा की) राज्य कोष में सुरक्षित जमा किये जाने हेतु राज्य पक्ष जरिये तहसीलदार बनेडा को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 का राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम डाबला में सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)